बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक– 6/ज0 गु0 –108/2012 439(m10) पटना, दिनांक– 30/1/2018

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अररिया

विषयः– **वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत अररिया जिला के अनुसूचित जाति /जनजाति बाहुल्य बसावटों में सौर ऊर्जा चालित पम्प के साथ 9 मिनी पाईप जलापूर्त्ति योजना के निर्माण हेतु केंद्रांश मद से रू0 5.855 लाख (पांच लाख पचासी हजार पांच सौ रूपये मात्र) की राशि की विमुक्ति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि **राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम** अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य के 38 जिलों के अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य बसावटों में सौर ऊर्जा चालित पम्प के साथ 534 मिनी पाईप जलापूर्त्ति योजना के निर्माण तथा पाँच वर्षो के लिए परिचालन एवं रख–रखाव हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय ज्ञापांक– 6/ज0 गु0 –108/2012 – 321, दिनांक. 20.02.13 के द्वारा कुल रू0 10781.46 लाख (एक सौ सात करोड़ इक्यासी लाख छियालीस हजार रुपये मात्र) की राशि पर प्रदान की गई है।

2. इस स्वीकृत योजना के अन्तर्गत **अनुसूचित जाति /जनजाति बाहुल्य बसावटों में** सौर ऊर्जा चालित पम्प के साथ 9 मिनी पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु **लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अररिया** को रू0 5.855 लाख (पांच लाख पचासी हजार पांच सौ रूपये मात्र) की राशि बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के **प्रोग्राम फण्ड से बैंक खाते** के माध्यम से विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजना की विवरणी निम्नवत् है ।

क0संख्या	जिला का नाम	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	मिनी जलापूर्ति का नाम	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अररिया	अररिया	अनुसूचित जाति /जनजाति बाहुल्य बसावटों में सौर ऊर्जा चालित पम्प के साथ मिनी पाईप जलापूर्ति	अररिया	दियारी	3	मजगामा	चालू
2				जोकीहाट	चकई	5	चकई	चालू
3				कुर्साकांटा	रहटमीना	12	डोरिया	चालू
4				रानीगंज	परमानंदपुर	2	परमानंदपुर	चालू
5				भरगामा	हरिपुर कला	7	हरिपुर कला	चालू
6				फारबिसगंज	दिपौल	10	अमौना	चालू
7				नरपतगंज	दरगाहीगंज	5	दरगाहीगंज	चालू
8				पलासी	बड़कुंभा	12	भटनिया	चालू

3. बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत **प्रोग्राम फण्ड के बैंक खाते के** माध्यम से उक्त विमुक्त राशि से स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाए।

4.इस योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत योजना की राशि तक सीमित रहेगा तथा किसी भी हालत में इस राशि का व्यय अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

5. इस राशि का उपयोग शीघ्र सुनिश्चित कर व्यय की गई राशि एवं उससे कृत कार्यों के संबंध में प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

विश्वासभाजन

(दिनेश्वर प्र0 सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह– विशेष सचिव

ज्ञापांक– 6/जं0 गु0 –108/2012 459 (म्या0)   पटना, दिनांक– 30/1/2018

प्रतिलिपि – क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग प्रक्षेत्र,पूर्णियां एवं अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल, पूर्णियां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रतिलिपि – सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के **प्रोग्राम फण्ड** के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि से कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, **अररिया** को उक्त राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से विमुक्त की जाय।

3.प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियंता (मो0)/ कार्यपालक अभियंता (मो0)–1/ कार्यपालक अभियंता (मो0)–2/सहायक अभियंता (मो0)/प्रभारी,डाटा सेन्टर/प्रशाखा पदाधिकारी – 6/रोकड़पाल, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/कार्यवाह सहायक प्रशाखा–6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लो0 स्वा0 अभि0 विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4. प्रतिलिपि– आप्त सचिव, सचिव,लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

5. प्रतिलिपि– आप्त सचिव, माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

30.1.2018
(दिनेश्वर प्र0 सिंह)
अभियंता प्रमुख –सह –विशेष सचिव